

फद अहकाम

सहायक कलेक्टर भोपाल-उत्तर बनाम आशुल मिश्रा वगैरे
 नाम न्यायालयपुर महर प्रथम

केस संख्या १६७१/२०२३

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवे
	11/01/2024	<p>प्रभावली/श्री सुदी/वकील वाही उपस्थित। वकील वाही ने उपस्थित होकर विवेक विना कि तक्षीलडा (प्र. ३५) आलवाड अमर के प्राव बुजान रिपोर्ट आगुवाड प्रकाश में दस्तान डिडी जारी की जाके। जमाना का मका वरने पर जमाना कि तक्षीलडा आलवाड के जमाना CR/23/2830 दिनांक 16/10/23 के सहायक बुजान रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रकाश में परिवारिक की एक पक्षीय अपक्रिही दिनांक 29/03/2023 को की जा चुकी है। तथा तक्षीलडा आलवाड के प्राव बुजान रिपोर्ट के शाखा पर दस्तान डिडी जारी करने हेतु विवेक विना ही वकील वाही की अधम। दस्तावेज। एक पक्षीय अपक्रिही। प्राव बुजान रिपोर्ट पर कोर्ट कोपली विषय न होने पर एवं उपस्थित जाओ पर प्रकाश में तक्षीलडा (प्र. ३५) आलवाड अमर के प्राव बुजान रिपोर्ट जमाना CR/23/2830 दिनांक 16/10/23 के आगुवाड प्रकाश में दस्तान डिडी जारी किने जाके के अतिशय पारिवारिकि जाते है। प्राव तक्षीलडा आलवाड जमाना CR/23/2830 दिनांक 16/10/23 के आगुवाड दस्तान डिडी जारी की जाके। प्रकाश में दस्तान डिडी जारी करने पर कोर्ट/अपक्रिही शेष नही रह जात है। जमाना प्रकाश में परिवारिक अपक्रिही जमाना बुजान रिपोर्ट आगुवाड जमाना दिनांक 11/01/2024 को बुजान रिपोर्ट (आलवाड अमर)</p>	

सहायक कलेक्टर
 न्यायालयपुर महर प्रथम

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) मुकाम जयपुर व इजलास
श्रीमती देविका तोमर (आर.ए.एस.)

मनोज कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम कालवाड़ तहसील
कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. कमल किशोर पुत्र चन्दाराम उम्र वयस्क।
2. दुर्गादेवी पुत्री चन्दाराम उम्र वयस्क।
3. बदामी देवी पत्नि चन्दाराम उम्र वयस्क।
4. बालकिशन पुत्र चन्दाराम उम्र वयस्क।
5. भीवाराम पुत्र महादेव उम्र वयस्क।
6. मेमराज पुत्र चन्दाराम उम्र वयस्क।
7. विमला देवी पुत्री, चन्दाराम उम्र वयस्क।
8. विष्णु पुत्र चन्दाराम उम्र वयस्क।
9. शिवनारायण पुत्र चन्दाराम उम्र वयस्क
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम कालवाड़ तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील कालवाड़ जिला जयपुर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर - दावा 06/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्रीमती देविका तोमर व हाजिरी वकील वादी
मिनजानिब मुद्दई रुबरु प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री
दी जाती है कि मुताबिक तहसीलदार कालवाड़ के पत्रांक 2830 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा
प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भूमि ग्राम कालवाड़ पटवार हल्का कालवाड़
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड़ तहसील कालवाड़ जिला जयपुर के खसरा नं0 198/1225
रकबा 2.0234 है0 में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है:-


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

क्र०सं०	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान
1.	मनोज कुमार पुत्र जगदीश जाति बलाई सा० देह	198 / 1225 / 1	1.2140	बारानी 3	2.41
	योग	01	1.2140	—	2.41
2.	कमल किशोर, मेमराज, विष्णु, बालकिशन, शिवनारायण पि० चन्दाराम बदामी पत्नी चन्दाराम, दुर्गादेवी विमला देवी पुत्रीश्री चन्दाराम हि 1/2 भीवाराम पुत्र महादेव हि 1/2 जाति बलाई सा—देह	198 / 1225 / 2	0.8094	बारानी 3	1.60
	योग	01	0.8094	—	1.60

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज मुवलिग बाबत
 खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज
 की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/01/2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
 ओहदार शहर प्रथम

मुद्दै	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

सहायक कलक्टर
 अजमेर शहर प्रथम